लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *115

30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्रों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना

***115. श्री सुधीर गुप्ता:**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का आयोजन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वस्त्र क्षेत्र के लिए वस्त्रों हेतु 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को अनुमोदित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का वस्त्र क्षेत्र को पीएलआई योजना के अंतर्गत शामिल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने आगामी वर्षों के लिए देश में वस्त्रों के निर्यात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार के इस कदम से देश में घरेलू विनिर्माण और निर्यात को किस प्रकार बढ़ावा मिलेगा; और

(च) क्या सरकार एकीकृत वस्त्र पार्क योजना को पुनरुज्जीवित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री सुधीर गुप्ता द्वारा वस्त्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के संबंध में 30.07.2024 के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *115 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): जी, नहीं।

(ख) और (ग): सरकार ने देश में एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्र उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पांच वर्ष की अवधि में 10,683 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय के साथ वस्त्र हेतु उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी है ताकि वस्त्र क्षेत्र को आकार और पैमाना हासिल करने और प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाया जा सके।

(घ): सरकार लगातार निर्यात निष्पादन की निगरानी कर रही है और उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। मंत्रालय ने 2030 तक वस्त्र उत्पादों के लिए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

(ङ): सरकार विभिन्न योजनाएं अर्थात प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान (पीएम मित्र), समर्थ (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना), रेशम समग्र, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) आदि कार्यान्वित कर रही है जो देश में विशिष्ट रूप से वस्त्र क्षेत्र के विकास की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है।

वस्त्र उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सरकार अपैरल/परिधानों और मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य और केन्द्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) की छूट की योजना कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा, आरओएससीटीएल के अंतर्गत कवर नहीं किए गए वस्त्र उत्पाद अन्य उत्पादों के साथ-साथ निर्यात उत्पादों पर सीमा शुल्क और कर छूट (आरओडीटीईपी) के तहत कवर किए गए हैं।

(च): मंत्रालय पूरे देश में टेक्सटाइल हबों में विश्वस्तरीय, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे वाले टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए सहायता देने हेतु इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क संबंधित योजना (एसआईटीपी) क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना का दिनांक 31.03.2021 तक कार्यान्वयन किया जा रहा था; लेकिन अब इस योजना को टेक्सटाइल कलस्टर डेवलपमेंट स्कीम (टीसीडीएस) की अम्ब्रेला योजना में मिला दिया गया है।

*****